**GOVERNMENT OF INDIA** 



असाधारण

## EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13| No. 13| दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

[ रा.रा.रा,क्षे.दि. सं. **193** 

DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

[N.C.T.D. No. 193

भाग-17

PART-IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ' GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELIII

## पर्यावरण विगाग अधिसूचना

दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. फा. 10(13) / पर्या. / 2015 / 436-458. — पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वो व्यायालय के दिनांक 09.10.2015, और 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन करते हुए पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13) / पर्या / 2015 / 6167 6189 दिनोंक 20.10.2015, एफ.10(13) / पर्या / 2015 / 6345—6372 दिनोंक 30.10.2015, एफ.10(13) / पर्या / 2015 / 7400—7422 दिनोंक 23.12.2015 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13) / पर्या / 2015 / 98—130 दिनोंक 05.01.2016 और दिनांक 19.12.2015 को पर्यावरण प्रदूषण (रोकधाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) द्वारा ली गई बैठक में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसरण में, उपरोक्त अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:—

- 1. कोई वाहन, जो या तो आंशिक रूप से लदा है या किसी माल को ढो रहा है (जो कि प्रमार मुका श्रेणी में ना आता हो और दिल्ली के लिए है), उसको लदा हुआ वाहन माना जाएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 में निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रमार (ईसीसी) को प्रति वाहन दुगना देगा अर्थात श्रेणी 2 (हल्के ड्यूटी वाहनों इत्यादि) तथा श्रेणी 3 (2 ऐक्सल ट्रक) को रुपये 1,400/- प्रति वाहन और श्रेणी 4 (3 ऐक्सल ट्रक तथा अधिक) को रुपये 2,600/- प्रति वाहन।
- 2. गैर लदे हुए वाहन वह होंगें जो कि पूर्ण रूप से खाली होंगे और जिनमें कोई भी सामान ना हो एवं उन वाहनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 में निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रमार (ईशीशी) से वसूला जाएगा।
- 3. सी.एन.जी. ईंधन वाहन पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से गुक्त होंगे।
- 4. यदि कोई वाहन छूट प्राप्त वस्तुएँ (जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.10.2015 में परिभाषित है) को प्रभार मुक्त माना जाएगा, यदि वह लदे हुए वाहन की क्षमता रो कम से कम 3/4 क्षमता का सामान ले जा रहा हो।

कुलानंद जोशी, विशेष सविव (पर्यावरण)

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st January, 2016

No. F. 10(13)/Env/2015/436-458.—In continuation of notification No. F10 (13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/6345-6372 dated 30.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015 and amendment notification no. F10 (13)/Env/2015/98-130 dated 05.01.2016, issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015 and 16.12.2015 regarding Environment Compensation Charge (ECC) and in pursuance to the clarification given in the meeting taken by Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) on 19.12.2015, following are the clarification for implementation of above said notifications:

- Any vehicle, which is partially laden or carrying any goods (which are not under the exempted category and is bound for Delhi) will be treated as laden vehicle and will pay twice the ECC as stipulated by Hon'ble Supreme Court in its order dated 09.10.2015 i.e. @ Rs. 1400/- for category 2 (light duty vehicles etc) and category 3 (2 axle trucks) per vehicle, and Rs. 2600/- for category 4(3 axle trucks) and category 5(4 axle trucks and above) per vehicle.
- A non-laden vehicle will be one which is completely empty and has no goods whatsoever and will be charged the ECC as stipulated by Hon'ble Supreme Court in its order dated 09.10.2015.
- 3. CNG fuelled vehicles will be given exemption.
- 4. The vehicles will be treated as exempt if it is carrying exempted goods (defined as per Delhi Govl. notification of October 30, 2015) if it is carrying at least three-fourth of its carrying capacity.

KULANAND JOSHI, Special Secy. (Environment)